



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062023-246770
CG-DL-E-23062023-246770

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2642]
No. 2642]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 23, 2023/आषाढ़ 2, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 23, 2023/ASHADHA 2, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2023

का.आ. 2762(अ).—आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग और 5ड. के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग और 5ड. के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ 'मैसर्स पतंजलि योग पीठ न्यास, दिल्ली (पैन: AABTP0560H) को इसकी विश्वविद्यालय इकाई 'मैसर्स पतंजलि विश्वविद्यालय' के लिए 'विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा अन्य संस्थान' की श्रेणी के अंतर्गत 'सामाजिक विज्ञान अथवा संख्यिकीय अनुसंधान' के लिए अनुमोदित करती है।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि (अर्थात् पूर्व वर्ष 2023-24) से प्रभावी होगी और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-2025 से 2028-2029 तक लागू रहेगी।

[अधिसूचना संख्या 44/2023/फा. सं. 203/08/2022/आई.टी.ए.-II]

काखो जयप्रकाश. टी, अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।